

प्रेषक,

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-29 के आय-व्ययक में (वेतन भत्तो से सम्बन्धित) प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय अनुदान संख्या-29 में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मतदेय एवं भारित मदों में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कमश ₹1209788.00 हजार (एक अरब बीस करोड सत्तानवें लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न योजना मद एवं कम्प्यूटर आई०डी० विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल अंग्रकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत मदों में उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व न ही अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद 01 वेतन-03 मंहगाई भत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित मदों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
5. कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी०एम०-8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय। बजट प्रावधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय धनराशि का नियमित लेखा जेखा का मिलान महालेखाकार से करते हुए इसका प्रमाणित विवरण वित्त विभाग, बजट निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
6. यदि किसी योजना में धनराशि पी०एल०ए० खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को अहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के निम्नलिखित विवरणों में प्रस्तुत है:-

अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. लघु निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व संकलित कार्यों की वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाय, तदोपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जाय।
8. मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी। उक्त मद में भुगतान सक्षम अनुमोदनपरांत नियुक्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों के सम्बन्ध में ही नियमानुसार वहन किया जाय।
9. उक्त मदों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही धनराशि में यदि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई नई योजना सम्मिलित हो तो चालू एवं नई योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुमोदित नई योजना के क्रियान्वयन मानक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो। अनुमोदित मानकों के अनुसार ही योजनाओं का संचालन किया जाय। योजना हेतु क्रियान्वयन मानक अनुमोदित/निर्धारित न होने की दशा में किसी भी प्रकार का कोई व्यय किसी भी मद में नहीं किया जाय।
10. चालू योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना की क्रियान्वयन अवधि वर्तमान में जीवित हो। यदि योजना की क्रियान्वयन अवधि समाप्त हो गयी हो तो ऐसी योजना में धनराशि, योजना क्रियान्वयन की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही निर्गत की जायेगा।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या-29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत अंकित संलग्न सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के संदर्भित शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित निर्देशों तथा कम्प्यूटर आई0डी0संख्या ~~S.18042920~~ दिनांक 16 अप्रैल, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

  
(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।

संख्या-            /XVI(1)/18/7(9)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त अनुभाग-1 एवं वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 7- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(जी०एन०उप्रेती)


उप सचिव।

शासनादेश संख्या-738/XVI(1)/18/7(9)/2018, दिनांक-16 अप्रैल, 2018 संलग्नक

(धनराशि हजार में)

क्रमांक	लेखाशीर्षक/योजना का नाम/मद	आय-व्ययक प्राविधान 18-19	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
<b>अनुदान संख्या-29 2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनेत्तर 03 औद्यानिक विकास</b>			
1	0301 अधिष्ठान		
	01-वेतन	1000000	1000000
	02-मजदूरी	2341	2341
	03-मंहगाई भत्ता	108930	108930
	06-अन्य भत्ते	90472	90472
	09-विद्युत देय	1350	1350
	10-जलकर/जलप्रभार	350	350
	योग-0301	1203443	1203443
2	0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)		
	01-वेतन	3500	3500
	02-मजदूरी	2150	2150
	03-मंहगाई भत्ता	400	400
	06-अन्य भत्ते	170	170
	09-विद्युत देय	50	50
	10-जलकर/जलप्रभार	75	75
	योग-0302	6345	6345
	कुल योग-	1209788	1209788

(एक अरब बीस करोड सत्तानवें लाख अट्ठासी हजार मात्र)

  
(जी०एन०उप्रेती)  
उप सचिव।